महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 71वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	**अध्यक्ष**
2. प्रो. ऋतु माथुर, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	**सदस्य**
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	**सदस्य**
4. प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	**सदस्य**
5. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	**सदस्य**
6. प्रो. आशीष भट्नागर, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	**सदस्य**
7. प्रो. गीता शर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	**सदस्य**
8. प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	**सदस्य**
9. प्रो. शमा खान, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	**सदस्य**
10. डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	**सदस्य**
11. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	**सदस्य**
12. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	**सदस्य**
13. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	**सदस्य**
14. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	**सदस्य**
15. प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	**सदस्य**
16. डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	**सदस्य**
17. मोहम्द इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक।	**सदस्य**
18. कुलसचिव	**सदस्य-सचिव**

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	**सदस्य**
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	**सदस्य**
3. डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय	**सदस्य**
4. डॉ. अमित गुप्ता, सह-आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय साईंस कॉलेज, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	**सदस्य**

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 69वीं बैठक दिनांक 30.09.2022 एवं 70वीं बैठक दिनांक 31.01.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (69) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2022/84625-45 दिनांक 20.10.2022 एवं पत्र क्रमांक एफ. 13 (70) शैक्षणिक-I/मदसविवि/ 2022/3396–3417 दिनांक 02.02.2023 के साथ प्रेषित की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1 एवं 2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 69वीं बैठक दिनांक 30.09.2022 एवं 70वीं बैठक दिनांक 31.01.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3 एवं 4)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की 69वी बैठक दिनांक 30.09.2022 के निर्णय संख्या 22 की अनुपालना को, लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित रूप से पढ़े जाने व विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाने के प्रेक्षण के साथ, अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया साथ ही विद्या परिषद् की 70वीं बैठक दिनांक 31.01.2023 की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 03	डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से पत्र दिनांक 07.11.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** प्राप्त हुआ है जिसमें निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन देश के अन्य राज्यों की भांति प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी किया जाना है । नीति का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षो में निरन्तर होगा । वर्ष 2022-23 में जिन बिन्दुओं का क्रियान्वयन किया जाना है, उसकी सूची उक्त पत्र के साथ संलग्न है । उक्त पत्र पर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय	**नोडल अधिकारी-NEP / शैक्षणिक-I**

	के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के द्वारा उक्त पत्र को आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के दिनांक 30.11.2022 को आदेश प्रदान दिये गये । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.11.2022 की पालना में राज्य सरकार से प्राप्त उक्त पत्र दिनांक 07.11.2022 विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**नोड़ल अधिकारी-नई शिक्षा नीति-2020 के द्वारा विभिन्न अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम/कार्यवृत्त के संबंध में सदन को अवगत कराया गया । उक्त मद पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । संयोजकों से कार्यालय को पाठ्यक्रम प्राप्त होने की धीमी गति पर सदस्यों ने नाराजगी जतायी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों को आधार मानते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा ग्रेड के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम भिजवाये जाने हेतु संबंधित विषय के संकायाध्यक्ष एवं अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के संयोजक को सूचित किया जाय एवं प्रकरण आगामी विद्या परिषद् की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय ।**	
मद सं0 04	कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 05.05.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में संचालित पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम को यथावत लागू रखा जाय तथा P.G. Diploma in Artificial Intelligence and Data Science (PGD AI & DS) पाठ्यक्रम को स्ववित्त पोषित आधार पर विश्वविद्यालय में लागू किया जाय ।**	
मद सं0 05	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** **(1) <u>प्रतिवेदित है कि</u>** प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर से प्राप्त पत्र क्रमांकः एफ.क्र.9-बी-1/सम्बद्धता/2022-23/4222 दिनांक 22.12.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)** में प्राचार्य ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली की संघटक ईकाई है। रा.शै.अ.प्र.प. डीम्ड यूनिवर्सिटी (De nova	**शैक्षणिक-II**

	category) दर्जे की प्रकिया में है तथा यह दर्जा प्राप्त हाने पर संस्थान के सभी कार्यक्रम इससे संबंद्ध होंगे। परिषद के पत्र क्रमांकः F.DTBU/ NCERT/2022-23/PMD dated 20.12.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** के द्वारा यह सूचित किया गया है कि परिषद् के डीम्ड यूनीवर्सिटी दर्जे की प्रक्रिया में यू0जी0सी0 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में संचालित कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय पत्र एफ.14 (शैक्ष-II)/मदसविवि/2022/3833 दिनांक 22.02.23 द्वारा सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,नई दिल्ली को सूचित किया गया कि "Maharshi Dayanand Saraswati University has no objection, if RIE gets deemed status for all the courses B.Sc. B.Ed, B.A. B.Ed, and M.Ed. of this institution affiliated with this University." अतः प्रकरण विद्या परिषद की बैठक में प्रतिवेदनार्थ/पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 06	विश्वविद्यालय परिसर में Bachelor of Physical Education and Sports किया जाना प्रस्तावित है । यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय DAV College में पहले से ही संचालित है तथा यहां इसके सभी 50 स्थानों पर प्रतिवर्ष प्रवेश हो जाते हैं । उचित होगा कि उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में भी प्रारम्भ किया जाय ताकि यहां की खेल सुविधाओं का समुचित उपयोग हो सके । स्ववित्तपोषित आधार पर प्रस्तावित इस पाठ्यक्रम को 50 स्थानों के साथ प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।	**प्रो. अरविन्द पारीक**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में उक्त कोर्स प्रारम्भ किया जावे तथा विश्वविद्यालय नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय । विश्वविद्यालय परिसर में Bachelor of Physical Education and Sports को प्रारम्भ किये जाने के उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रो. रीटा मेहरा एवं प्रो. शिव प्रसाद के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने सहमति जतायी । (Note of dissent परिशिष्ट-1 एवं 2) ।**	

मद सं0 07	श्री एस.के. कौशल, प्राचार्य, खाद्य कला संस्थान, अजमेर से पत्र क्रमांक FCI/AJ/Admin/2023/2623 Dated 27-04-2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9)** प्राप्त हुआ है । उक्त संस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर One Year Certificate Courses in core areas of Hospitality & Tourism Industry कोर्स सत्र 2023-24 से प्रारम्भ करना चाहती है । उक्त पत्र के संबंध में संयोजक-प्रबन्ध अध्ययन, अध्ययन बोर्ड से टिप्पणी/राय प्राप्त की गयी जिसमें संयोजक- प्रबन्ध अध्ययन, अध्ययन बोर्ड द्वारा टिप्पणी की गयी कि- Board of Studies प्रबन्ध अध्ययन संकाय से संबंधित पाठ्यक्रम बनाने और परीक्षक पैनल बनाने का कार्य करती है, जिसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उक्त कोर्स का Affiliation होने पर संचालित किया जाता है । अतः इस परिप्रेक्ष्य में खाद्य कला संस्थान, अजमेर का प्रस्ताव प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड द्वारा मान्य किये जाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती । संयोजक-प्रबन्ध अध्ययन, अध्ययन बोर्ड की उक्त टिप्पणी/राय माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी । माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से आदेशित किया कि उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आदेश की अनुपालना में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**खाद्य कला संस्थान, अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं है । अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने पर ही इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 08	विद्या परिषद् की 62वीं बैठक दिनांक 30 मई, 2020 के निर्णय संख्या 05 के अनुसार विश्वविद्यालय में B.F.A. (Textile Designing, Photography, Drawing & Painting), M.F.A. (Drawing & Painting) एवं M.A. Music (Vocal & Instrumental) कोर्स को लागू करने का निर्णय लिया गया । विद्या परिषद् के उक्त निर्णय के क्रम में उक्त कोर्स के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु दिनांक 26.06.2020 को ड्राईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी । ड्राईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड के द्वारा B.F.A. (Textile Designing, Photography, Drawing &	**शैक्षणिक-I**

	Painting) के स्थान पर B.F.A. (Drawing & Painting, Textile Designing, Applied Arts) कोर्स को लागू किये जाने की अनुशंसा की गयी तथा इसका उल्लेख उन्होंने अपने कार्यवृत्त में भी किया । ड्राईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 26.06.2020 के कार्यवृत्त को विद्या परिषद् की 63वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2020 के निर्णय संख्या 04 पर स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार विद्या परिषद् के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय में B.F.A. (Drawing & Painting, Textile Designing, Applied Arts) कोर्स लागू हो गया । ड्राईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड के द्वारा कार्यालय को जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया उसका हेडिंग Four year B.F.A. Course (Painting, Textile design, Plastic Arts, Pottery-Ceramics and Applied Arts) लिखा हुआ है । इस संबंध में डॉ. दीपिका उपाध्याय, प्रभारी-ललित कला विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विद्या परिषद् के निर्णयानुसार B.F.A. Course में केवल (Textile Designing, Photography, Drawing & Painting) ही लागू है जबकि पाठ्यक्रम में Four year B.F.A. Course (Painting, Textile design, Plastic Arts, Pottery-Ceramics and Applied Arts) सम्मिलित है । इस संबंध में संयोजक, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड एवं संकायाध्यक्ष ललित कला से राय/मार्गदर्शन मांगा गया तो उनके द्वारा टिप्पणी की गयी कि- **"B.F.A. में तीन विषय अलग है, जो कि Drawing & Painting, Textile Designing, Applied Arts है व यह पाठ्यक्रम चार वर्षीय है । उल्लेखित पाठ्यक्रम का संकलित नाम जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर का था, जो उस समय हमने स्वीकार कर लिया था, परन्तु वर्तमान में विश्वविद्यालय में BFA कोर्स में तीन पाठ्यक्रम Drawing & Painting, Textile Designing, Applied Arts लागु है ।"** संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय की उक्त राय माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी । माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से आदेशित किया की उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आदेश की अनुपालना में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	

मद सं0 09	It is proposed to start B.Sc. Hon/M.Sc. (Integrated) Program in Department of Botany from Academic Session 2023-24 on regular basis. This program is being prepared keeping in mind the mandates of NEP 2020 with multiple entry and multiple exit options for students. This program will cater the need for students who are willing to study Honors Program at Graduation level. This program is proposed to start with 20 seats.	**विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र**
निर्णय	**वनस्पतिशास्त्र विभाग में** B.Sc. Hon./M.Sc. (Integrated) **कोर्स को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में प्रो. रीटा मेहरा, प्रो. शिवप्रसाद एवं प्रो. नीरज भार्गव के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने सहमति जतायी । (Note of dissent परिशिष्ट- 3, 4 एवं 5) । उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त मद विद्या परिषद् की आगामी बैठक दिनांक 10.07.2023 में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत की जाय ।**	
मद सं0 10	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित CORA (Committee for Ordinance/Regulations amendment) समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)** को आयोजित हुई । उक्त बैठक की अनुशंसाएं विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**नोडल अधिकारी-NEP /शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के निर्देशों को आधार मानते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा ग्रेड के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करने के उपरान्त प्रकरण आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।**	
मद सं0 11	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग से पत्र क्रमांक प.14 (20) शिक्षा-4 पार्ट दिनांक 01.03.2023 के द्वारा विभिन्न विषयों में 06 सहायक आचार्य एवं 14 सह आचार्य के पदों की भर्ती किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है:-	**संस्थापन**

क्र.सं.	विषय	भरे जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमत पद		
		सहायक आचार्य	सह आचार्य	आचार्य
01	History	00	01	00
02	Economics	00	01	00
03	Zoology	01	01	00
04	Botany	00	01	00
05	Environment Science	01	01	00

	06	Political Science	00	01	00
	07	Management Studies	00	01	00
	08	Applied Chemistry	01	01	00
	09	Food & Nutrition	00	01	00
	10	Population Studies	00	01	00
	11	Commerce	00	01	00
	12	Computer Application	01	00	00
	13	Microbiology	00	00	00
	14	Mathematics	00	01	00
	15	Geography	01	01	00
	16	Sociology	01	01	00
		Total	06	14	00

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार स्वीकृत विषयों में स्वीकृति अनुसार सहायक आचार्य एवं सह-आचार्य के पदों की भर्ती के क्रम में संबंधित प्रत्येक विषय के 40 विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के विभागाध्यक्षों तथा संबंधित संकाय के संकायाध्यक्षों को दिनांक 30.05.2023 को पत्र प्रेषित किये गये । उपरोक्त पत्रों के उत्तर में विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ पैनल प्राप्त हुए है । उपरोक्त विभिन्न विषयों के प्राप्त पैनल को विद्या परिषद् में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।**(कार्यसूची का परिशिष्ट-11 एवं 12)**

निर्णय

विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों के द्वारा शिक्षक भर्ती हेतु सौंपे गये विषय विशेषज्ञों के पैनल पर विस्तृत चर्चा की गयी । पूर्व में विद्या परिषद् की 43वीं बैठक दिनांक 25.09.2009 के निर्णय संख्या 06 पर विषय विशेषज्ञों के पैनल बनाये जाने हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड (Criteria) स्पष्ट नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड (Criteria) निर्धारित किये गयेः-

1. **विषय विशेष संबंधित विषय का प्रोफेसर होना चाहिए ।**
2. **विषय विशेषज्ञ राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं होना चाहिए ।**
3. **विषय विशेषज्ञ म.द.स. विश्वविद्यालय का वर्तमान/पूर्व शिक्षक नहीं होना चाहिए ।**
4. **पैनल में शिक्षक का पूर्ण संस्थागत/आवासीय पता होना चाहिए ।**

मद सं0 12	विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति-2020 को लागू किये जाने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 18.05.2023 को प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में समस्त अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समिति की बैठकें आयोजित की गयी । संबंधित विषयों के संयोजकों से अभी तक कुछ ही संशोधित/अपडेटेड पाठ्यक्रम प्राप्त हुए है । चूंकि सत्र प्रारम्भ होने में मात्र कुछ ही दिन ही शेष है अतः समय की अल्पता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार तैयार किये गये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को यथावत ही विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**निर्णय संख्या 03 के अनुसार कार्यवाही की जाय ।**	
मद सं0 13	विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति-2020 को लागू किये जाने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 18.05.2023 को प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में समस्त अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समिति की बैठकें आहूत की गयी । अतः उक्त अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति की बैठकों के प्राप्त कार्यवृत्तों पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**निर्णय संख्या 03 के अनुसार कार्यवाही की जाय ।**	
मद सं0 14	वर्ष 2018 से 2022 तक विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षओं में सफल अभ्यर्थीयों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु 19 (उन्नीस) उपाधि फॉर्मेट्स का उपयोग किया जा रहा है । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार आगामी वर्षो में उपरोक्तानुसार 19 उपाधि फॉर्मेट्स के स्थान पर 04 (चार) Standard/Common उपाधि फार्मेट तैयार किये जाने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 11698 दिनांक 20.05.2023 के द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया:- 1. प्रो. ऋतु माथुर, संयोजक 2. डॉ. आशीष पारीक, सदस्य 3. डॉ. विनोद जैन, ए.सी.पी., सदस्य 4. डॉ. दिग्विजय सिंह चौहान, उप कुलसचिव (उपाधि), सदस्य-सचिव	**उपाधि**

	उक्त समिति ने बैठक दिनांक 07 जून, 2023 में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से बात कर उपाधि पत्रकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की । उसके पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाधि पत्रक का भी अध्ययन किया गया एवं सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्तमान में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा छात्रों द्वारा उपाधि की त्वरित मांग के दृष्टिगत प्रक्रिया को सरल करते हुए उपाधि को सुलभ ढंग से एक ही फॉर्मेट पर निर्माण कराएं तथा इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार हो जिसमें सभी पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु का विवरण समाहित हो सके । समिति ने उपाधि अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉमन फॉर्मेट पर उपाधियों के विवरण को भर कर देखा तथा पाया कि एक ही फॉर्मेट पर उपाधि लेखन का कार्य संभव हो सकता है । समिति ने निष्कर्षतः एक कॉमन फॉर्मेट को प्रवृत करते हुए सभी उपाधियों का मुद्रण एवं लेखन कार्य कराए जाने की अनुशंसा की । समिति की उक्त अनुशंसा को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है । (समिति की बैठक दिनांक 07 जून, 2023 अनुशंसा एवं अनुमोदित उपाधि फॉर्मेट के साथ ही निर्देशानुसार उपाधि लेखन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विवरण के संबंध में एक अन्य रिक्त उपाधि फॉर्मेट भी संलग्न है) **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13 एवं 14)** अतः आदेशानुसार एवं वर्ष 2023 से विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं (अंतिम वर्ष) में सफल छात्र-छात्राओं को एक कॉमन उपाधि फॉर्मेट में उपाधि जारी किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार समिति की अनुशंसा एवं अनुमोदित उपाधि फॉर्मेट के साथ ही उपाधि लेखन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विवरण के संबंध में एक अन्य रिक्त उपाधि फार्मेट विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "परिशिष्ट-06" पर संलग्न उपाधि के प्रारूप में माता-पिता का नाम जोड़ा जाय तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के द्वारा जारी की जा रही उपाधि के अनुरूप चिप लगायी जाय ।**	
मद सं0 15	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित समिति द्वारा नवनिर्मित एवं संशोधित शोध अध्यादेश Ord.124 जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.11.2022 को समिति के द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है । अतः इस अध्यादेश को सत्र 2023-24 से लागू करने हेतु विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)**	**शोध अनुभाग**

निर्णय	**उक्त नवनिर्मित एवं संशोधित शोध अध्यादेश Ord. 124 में निम्नलिखित संशोधन कर आगामी विद्या परिषद् की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जायः-** **1. डी.आर.सी. बनायी जाय ।** **2. डी.आर.सी. में विभागाध्यक्ष/संयोजक, अध्ययन बोर्ड को जोड़ा जाय ।** **3. पैनल में एक प्रदेश से केवल 02 प्रोफेसर ही लगाये जाय ।** **4. प्रोफेसर पद पर कार्यरत शिक्षकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, वह चाहे विश्वविद्यालय में कार्यरत हो या महाविद्यालय में । अतः प्रोफेसर पद पर कार्यरत शिक्षक को पैनल में लगाये जाने का निर्णय 05 के मुकाबले 13 मतों से पारित किया गया ।**	
मद सं0 16	श्री पीयूष टेकचंदानी से एक पत्र, दिनांक 25.04.2023 को प्राप्त हुआ है । श्री पीयूष टेकचंदानी के द्वारा पत्र में निवेदन किया गया है कि बी.सी.ए. (तृतीय वर्ष) में गणित विषय को मुख्य स्ट्रीम में जोडने से छात्रों को भविष्य में मास्टर्स डिग्री करने में सुविधा होगी । उक्त प्रकरण को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सुझाव पर संयोजक की रिपोर्ट के साथ चर्चा करे एवं प्रकरण पर संबंधित विषय की पाठ्यक्रम समिति की बैठक में निर्णय करें । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पत्रावली संयोजक, कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति को प्रेषित की गयी । संयोजक महोदय के द्वारा अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 26.05.2023 में बी.सी.ए. कोर्स में कम्प्यूटर बेस्ड मैथेमेटिक्स विषयों को सम्मिलित कर लिया गया है । संयोजक महोदय से प्राप्त टिप्पणी पुनः माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी जिस पर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक में रखे जाने हेतु आदेश प्रदान किये । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आदेश की अनुपालना में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि गणित विषय को कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति के द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुरूप शामिल किये जाने व पुराने बी.सी.ए. कोर्स को यथावत जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया ।**	

मद सं0 17	डॉ. फ़िरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प. 18 (5)/ शिक्षा-4/ 2019 CMO PT जयपुर, दिनांक 18.04.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री कल्पेश सिंधवी, पूर्व महासचिव, जोधपुर शहर जिला युवा कांग्रेस, पूर्व सदस्य सलाहकार समिति रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित प्रार्थना-पत्र में राजस्थान के समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों में बिना आर्थिक भार के विशेष शिक्षा संकाय खुलवाने के संबंध में अनुरोध किया है । अतः प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करावें ताकि तद्नुसार मुख्यमंत्री कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके । उक्त के संदर्भ में कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के संबंद्ध महाविद्यालयों में B.Ed. Special Education (Mental Retardation) एवं B.Ed. Special Education (Hearing Impairment) पाठ्यक्रम संचालित है । प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये । अतः संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)** पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I/ शिक्षा विभाग**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग (शिक्षा विभाग) के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India) से अनुमति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाय तथा पाठ्यक्रमों हेतु इनकी नेशनल बॉडी द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम ही लागू होंगे ।**	
मद सं0 18	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिया गया</u>:- 1. **नई शिक्षा नीति-2020 सत्र 2023-24 के अनुसार सैमेस्टर सिस्टम लागू होने के कारण स्वयंपाठी विद्यार्थियों की परीक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप करायी जाय ।** 2. **निजी महाविद्यालयों में विज्ञान विषय के शिक्षकों के वर्कलोड के संबंध में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में लागू नियमों को म.द.स. विश्वविद्यालय में लागू किया जाय ।**	**परीक्षा नियंत्रक** **शैक्षणिक-II**

	3. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ने पत्र क्रमांक 9-बी-1/सम्बद्धता/2022-23/967 दिनांक 26 जून, 2023 प्रस्तुत किया । उक्त पत्र पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर के द्वारा यदि आई.टी.ई.पी. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाता है तो एन.सी.टी.ई./ आर.सी.आई द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम ही लागू होगा ।	शैक्षणिक-II
	4. प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा के द्वारा **B.Ed. Special Education (V.I.)** का पाठ्यक्रम विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।	शैक्षणिक-I
	5. सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर स्वायत्तशासी महाविद्यालय है । इसकी स्वयं की विद्या परिषद् को पाठ्यक्रम पारित करने का अधिकार है । चूंकि इस महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपाधि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा दी जाती है । इसलिए उनके यहां पारित पाठ्यक्रमों की पत्र क्रमांक 1725 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा प्रदत्त सूची विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिससे विद्या परिषद् के सदस्य अवगत हुए ।	शैक्षणिक-II

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव

परिशिष्ट -1

Note of Dissent on Agenda Item No. 6 of Academic Council Meeting dt.30.6.2023 for the following legitimate grounds:

The Agenda Item No. 6 is bad in law as it implies misutilization of funds , hence I put my Note of Dissent for starting Bachelor of Physical Education in the university campus as an SFS Course as the running of the said course is not feasible under Self Finance Scheme and utilization of Sports Board facilities which otherwise also are not according to the requirements of a teaching programme of three to four years would involve misutilization of funds

30.6.2023

परिशिष्ट-2

To
The Chairman (Academic Council Meeting)
M.D.S Univ. Ajmer.

Sub: Note of dissent on agenda Item No. 6 of Academic council Meeting 30/6/23

R/Sir.

I have to submit my note of dissent on the above mentioned subject on the following ground.

(i) The University does not have sports and Physical Education Department hence adequate infrastructural facilities are not in existance in the University both routine and permanent hence immediate opening the Department and course would not give benefit to student in the larger interest.

(ii) The facility available with the Sports board is for the colleges which comes under the University and I as Sports secretary for four years. realised the same. the problems of the student with regard to sports related infrastructural facity.

Hence on the above ground (which may be even more) and. in the interest of student and present teachers available in the University, my note of dissent may/can be recorded in the meeting's minutes

Thanking you

Yours.

Prasad
30/6/2023

परिशिष्ट-3

Note of Dissent on Agenda Item No. 9 of Academic Council Meeting dt.30.6.2023 for the following legitimate grounds:

The proposal is bad in law as neither a Head of Department is authorized to prescribe nomenclature of new Degrees like B.Sc.(Hons. Botany); M.Sc(Integrated Programme in Botany] and propose to start these Degree Courses [Non-existent in Statutes/Ordinances] suo motto, nor a H.O.D. is authorized to prepare Syllabus for these non-existent Proposed Degrees, for which even BOS is not authorized. First Statutory provisions have to be complied with respect to establishment of Degrees with their Nomenclature and then Board of Studies have to be involved for Syllabus making and courses made available for all the affiliated Colleges, In addition starting of these Non established New Degrees courses in the University would require commitment of additional expenditure and also creation of new posts and appointments on urgent temporary basis/permanent basis as the case be. These actions require prior permission of Govt. under Section 36 A of MDSU Act RAPSAR Act under its several Sections, violation of which is declared as an Offence under its Section 14 –

"……..punishable with imprisonment for a term which shall no case be less than six months and which may extend upto two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees."

In view of no prior permission of Govt. for creation of the Department and its running as required under (i) MDSU Act [Section 36A]; and (ii) RAPSAR Act [Sections 4, 5 etc] and imprisonment penalty prescribed under Section 14, I dissent to decision on Agenda Item No.9 .

30.6.2023

परिशिष्ट-4

To
The Chairman (Academic Council Meeting)
M. D. S. University Ajmer.

Sub: Note of dissent on Agenda Item No. 9 of Academic Council Meeting dt 30/6/23

R/Sir.

This is with reference to above cited subject my note of dissent on the above agenda may be recorded on the following ground:

(i) As far as my knowledge is concerned, the ordinance of the University does not authorise this degree M.Sc. (Integrated Programme in Botany)

(ii) The Syllabus of the said course have not been approved by the earlier Academic Council. (if yes then the same may be presented) So without approval of the competent authority, how Department of Botany can propose the course in the any academic session.

Please same may be recorded in the interest of student and other stakeholders.

Thanking You.

With regards

Sd/-
30/6/2023
(Prof. Shiv Prasad)

परिशिष्ट-5

Note of Dissent on Agenda Item No. 9 of Academic Council Meeting dt.30.6.2023 for the following legitimate grounds:

The proposal is bad in law as neither a Head of Department is authorized to prescribe nomenclature of new Degrees like B.Sc.(Hons. Botany); M.Sc(Integrated Programme in Botany] and propose to start these Degree Courses [Non-existent in Statutes/Ordinances] suo motto, nor a H.O.D. is authorized to prepare Syllabus for these non-existent Proposed Degrees, for which even BOS is not authorized. First Statutory provisions have to be complied with respect to establishment of Degrees with their Nomenclature and then Board of Studies have to be involved for Syllabus making and courses made available for all the affiliated Colleges, In addition starting of these Non established New Degrees courses in the University would require commitment of additional expenditure and also creation of new posts and appointments on urgent temporary basis/permanent basis as the case be. These actions require prior permission of Govt. under Section 36 A of MDSU Act RAPSAR Act under its several Sections, violation of which is declared as an Offence under its Section 14 –

"……..punishable with imprisonment for a term which shall no case be less than six months and which may extend upto two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees."

In view of no prior permission of Govt. for creation of the Department and its running as required under (i) MDSU Act [Section 36A]; and (ii) RAPSAR Act [Sections 4, 5 etc] and imprisonment penalty prescribed under Section 14, I dissent to decision on Agenda Item No.9 .

अनुक्रमांक
Roll No.

(85)

क्रमांक
S. No. 1663513

परिशिष्ट-6

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

मद संख्या........14

परिशिष्ट संख्या.......17

प्रमाणित किया जाता है

कि

को

सन् की परीक्षा श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित होने पर

की उपाधि विषय में प्रदान की जाती है।

यह प्रमाण-पत्र इस विश्वविद्यालय की मुद्रा तथा कुलपति के हस्ताक्षर से निर्गमित किया जाता है।

Certified that

of

having passed the Examination of in the division, the degree of

has been awarded to him / her in the subject of

*In **Testimony** whereof are set the Seal of the University and Signature of the Vice-Chancellor.*

कुलपति
Vice-Chancellor